



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032022-234197
CG-DL-E-15032022-234197

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]
No. 196]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2022

सा.का.नि. 199(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 1 के सामने, आशुलिपिक श्रेणी-II से संबंधित पद के लिए, स्तंभ (7) के अधीन क्रम संख्यांक (ii) के सामने, "65 मिनट (हिंदी)" अंक, शब्द और कोष्ठक का लोप किया जाएगा।

[फा. सं.15-02/2021-पुनर्गठन]

सु. बालचन्द्र अय्यर, उप महानिदेशक (सी एंड ए)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 842(अ), तारीख 5 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 830(अ) तारीख 10 नवम्बर, 2021 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th March, 2022

G.S.R. 199(E).—In exercise of the powers conferred by clause (dc) of sub-section (2) of section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal Group 'C' posts Recruitment Rules, 2017:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, Group 'C' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal Group 'C' posts Recruitment Rules, 2017, in the Schedule, against serial number 1, for the post relating to Stenographer Grade 'II', under column (7) against serial number (ii) the figures, words and brackets "65 minutes (Hindi)" shall be omitted.

[F. No. 15-02/2021-Restg.]

S. BALACHANDRA IYER, Dy. Director General (C & A)

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), *vide* notification number G.S.R. 842 (E) dated the 5th July, 2017 and lastly amendment *vide* notification number G.S.R. 830 (E) dated the 10th November, 2021.